कार्यालय, नगर पालिक निगम भिलाई

//आदेश//

क्रमांक/स्टे.आयु./अधि.प्रत्या./2023/4803 भिलाई, दिनांक 01/05/23

मैं रोहित व्यास (भा.प्र.से.) आयुक्त, नगर पालिक निगम, भिलाई, छ.ग. नगर पालिक निगम, अधिनियम 1956 की धारा 69 (4) में प्रदत्त शक्तियों के अधीन नगर पालिक निगम, भिलाई में जोन कार्यालयों को प्रशासनिक एवं वित्तीय रूप से सशक्त बनाने एवं कार्यों को सुचारू रूप से शीघ्रता से निराकरण की दृष्टि से राज्य शासन द्वारा नियुक्त/आदेशित जोन आयुक्तों को निम्नानुसार शक्तियॉ एवं अधिकारों को प्रत्यायोजित करता हूँ :–

1. शासन से स्वीकृत कार्य अधोसंरचना मद, राज्य/केन्द्र प्रवर्तित योजना, 15 वें वित्त, सांसद/ विधायक/महापौर निधि, खनिज न्यास मद, धार्मिक न्यास मद, जिला कार्यालय से स्वीकृत कार्य रूपये 20.00 लाख अंतर्गत प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा दिये जाने के पश्चात् निविदा की कार्यवाही किये जाने, कार्यादेश जारी करने एवं कार्य का राशि रू. 20.00 लाख तक भुगतान करने हेतु जोनआयुक्त को अधिकृत किया जाता है। यदि किसी कार्य की निविदा लागत राशि 20.00 लाख से अधिक हो तो उसका भुगतान मुख्य कार्यालय के लेखा शाखा द्वारा किया जाये।
2. पार्षद/एल्डरमेन निधि के अंतर्गत प्रत्येक वार्ड के लिये शासन द्वारा जारी राशि रूपये 6. 00 लाख आबंटित निधि को छ.ग. शासन, संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास रायपुर के आदेश क्रमांक एफ 5–12/2015/18 दिनांक 30.05.2017 में जारी दिशा निर्देश के अनुसार, कार्य के लिए प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति, अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा दिये जाने के पश्चात् निविदा की कार्यवाही किये जाने, कार्यादेश जारी करने एवं कार्य का देयक भुगतान करने हेतु अधिकृत किया जाता है ।
3. प्रत्येक निर्माण कार्य का देयक/भुगतान संबंधी प्रविष्टि, नवीन कार्य का परिसम्पत्ति विवरण, ई–गर्वनेंस मॉडयूल साफ्टवेयर में अनिवार्य रूप से इन्ट्री कराये जाने का दायित्व जोनआयुक्त का होगा ।
4. छत्तीसगढ़ भण्डार क्रय नियम एवं पी.डब्ल्यू.डी.वर्क्स मैन्युअल एवं छत्तीसगढ़, नगर पालिक निगम, अधिनियम एवं तत्संबंधित शासन द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों/निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा ।
5. जिस मद की राशि प्रदाय की जायेगी, उसी मद में ही व्यय किया जायेगा, अन्य मद में भुगतान नहीं किया जायेगा। मदों का विस्तृत विवरण, लेखन जोन कार्यालय द्वारा पृथक–पृथक पंजी संधारित की जाये। मदवार जो राशि प्रदाय की जायेगी उसका ब्यौरा, आय–व्यय की जानकारी प्रतिमाह की पहली तारीख को लेखा शाखा को निर्धारित प्रपत्र में उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा।
6. उक्त मद में एजेंसी के देयकों से की जाने वाली समस्त प्रकार की कटौती नियमानुसार की जाये एवं कटौती की गई आयकर, जी.एस.टी., कर्मकार एवं अन्य कटौती का भुगतान, निर्धारित समय सीमा में संबंधित विभाग को भेजने की जिम्मेदारी जोनआयुक्त की होगी। विलंब करने पर यदि पेनाल्टी लगाई जाती है तो उसकी जिम्मेदारी जोनआयुक्त की होगी और पेनाल्टी स्वयं वहन करेंगे ।

Ryas
01/05/23

7. उपरोक्त मद के कार्यो में किसी भी प्रकार के अनियमितता के लिए जोनआयुक्त स्वयं जवाबदार होगें ।
8. उक्त मद की राशि का उपयोग विद्युत बिल, वेतन, पेट्रोल, डीजल, स्टेशनरी आदि पर व्यय नहीं किया जायेगा ।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा ।

(रोहित व्यास)
भा.प्र.से.
आयुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई

पृ.कमांक / स्टे.आयु. / अधि.प्रत्या. / 2023 / 4805 भिलाई, दिनांक 01/05/23

प्रतिलिपि :-

1. महापौर / सभापति महोदय, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
2. अपर आयुक्त, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
3. अधीक्षण अभियंता, I/II/III, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
4. उपायुक्त, I/II, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
5. जोनआयुक्त, जोन 1,2,3,4 एवं 5 नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ पालनार्थ।
6. कार्यपालन अभियंता, 1,2,3,4 एवं 5, जलकार्य / वाहन / स्टोर्स / उद्यान / कम्प्यूटर / भवन संधारण / परियोजना, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ ।
7. लेखाधिकारी, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ पालनार्थ।
8. प्रोग्रामर, डाटा सेंटर, नगर पालिक निगम, भिलाई को निगम के वेबसाईट में आदेश अपलोड किये जाने हेतु सूचनार्थ।
9. संबंधित विभाग प्रमुख .... नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
10. अधीक्षक, (स्थापना) नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ ।

आयुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई